hardship to consumers. The fact that no legal action has been taken against these individuals suggests that either the banks lack evidences or are at fault themselves.

Furthermore, financial institutions have been selling or transferring consumers' accounts and outstanding dues to third-party agencies without informing the consumers. These agencies, operating with minimal regulation, engage in questionable recovery practices. Even when individuals attempt to settle their dues, their CIBIL scores remain negatively impacted, limiting their access to credit and financial services and affecting their financial stability. One of the most severe consequences of this unjustified recovery is the wrongful downgrading of consumers' CIBIL scores. This limits their ability to obtain loans, mortgages and even employment opportunities. Even after settling disputes, many individuals continue to suffer from poor credit ratings leading to long-term financial instability. I appeal to the Government to take immediate corrective measures to protect consumers' rights and provide relief to those who have fallen victim to these questionable banking practices. Government's intervention is essential in assisting affected citizens in rebuilding their credit scores through structured credit ... (*Time-bell rings*.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Shri Meda Raghunadha Reddy (Andhra Pradesh).

Now, Shri. Manoj Kumar Jha on 'Concern over Duplication of Electoral Photo Identity Cards and its Impact on Elections'.

Concern over the duplication of Electors Photo Identity Cards and its impact on Elections

श्री मनोज कुमार झा (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, यह एक प्रश्न ऐसा है, जो बीते कुछ महीनों से या यूं कहूं तो, पिछले कुछ वर्षों से भी उद्वेलित कर रहा है, न सिर्फ पोलिकिटल पार्टीज़ को, बल्कि आम अवाम, आम नागरिक और आम वोटर को।

माननीय उपसभापति महोदय, आर्टिकल 324 की जब रचना हो रही थी, तब संविधान सभा की बैठकों में कई तरह के सुझाव आए और कई तरह की शंकाएं भी व्यक्त की गईं। उसके मद्देनज़र आर्टिकल 324 में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, conducting free and fair elections or level-playing field. सर, यह free and fair elections महज़ एक खोखली इबारत नहीं है, इसके पीछे भाव है, इसके पीछे दर्शन है। हाल के दिनों में ईपीआईसी काड्र्स के मद्देनज़र duplication को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं, वे सबके लिए चिंता का विषय है। कई बार न सिर्फ एक राज्य जिसका

बॉर्डर दूसरे राज्य से लगता है, वहां यह duplication हो रहा है। वहां लाखों की संख्या में ऐसे duplicate I-cards पाए गए हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन की फेयरनेस compromise हो रही है।

माननीय उपसभापति महोदय, EPIC card के पहले तीन अक्षर Assembly Constituencies को denote करते हैं, लेकिन ऐसा पाया गया है कि उसी राज्य की different Assemblies में वे तीन अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है और अलग-अलग राज्यों में होती है। सर, यह संसद लोकतंत्र की इमारत है और लोकतंत्र चुनाव से ज़िंदा है, अगर चुनाव की पद्धति और प्रक्रियाएं compromise की जाएंगी, उसमें से फ्रॉड की झलक दिखाई देगी, तो कुछ भी नहीं बचेगा।

आपके माध्यम से मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि सदन की ओर से एक गम्भीर सवाल जाए कि तुरंत इलेक्शन कमीशन यह तय करे कि एक duplicate EPIC card का extent क्या है? उसे investigate किया जाए कि यह फ्रॉड कहां से उत्पन्न हुआ और urgent corrective measure हों। उसके साथ ही, इलेक्शन कमीशन voter deletion, new additions and modifications की एक separate list issue करे।

सर, ये इतने गम्भीर प्रश्न हैं, जब-जब यह शंका व्यक्त होती है, इनका जवाब सस्ती शायरी नहीं हो सकती है। गम्भीर सवालों के जवाब गम्भीरता से देने चाहिए, न कि ट्रकों के पीछे लिखी शायरी को पढ़ कर देने चाहिए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri. Manoj Kumar Jha : Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Shri Ritabrata Banerjee (West Bengal), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri Muzibulla Khan (Odisha), Shri Debashish Samantaray (Odisha), Ms. Dola Sen (West Bengal), Smt. Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya (West Bengal), Shri Prem Chand Gupta (Bihar), Shrimati Rajani Ashokrao Patil (Maharashtra), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Smt. Ranjeet Ranjan (Chhattisgarh), Shri Sandeep Kumar Pathak (Punjab), Shri Sanjay Singh (National Capital Territory of Delhi), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Derek O' Brien (West Bengal), Smt. Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Smt. Mausam B Noor (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shri Mukul Balkrishna Wasnik (Rajasthan), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Digvijaya Singh (Madhya Pradesh), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Akhilesh Prasad Singh (Bihar), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Mallikarjun Kharge (Karnataka), Shrimati Sonia Gandhi (Rajasthan), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Jose K. Mani (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Ashok Kumar Mittal (Punjab), Shri Meda

Raghunadha Reddy (Andhra Pradesh), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Shri Babubhai Jesangbhai Desai on Demand for Effective Implementation of Child Marriage Act across the Country.

Demand for effective implementation of Child Marriage Act across the country

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई (गुजरात): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज इस सदन में एक अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: सिर्फ माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड पर जा रही है।

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई: यह हमारे समाज की नींव को कमज़ोर कर रहा है। यह मुद्दा बाल विवाह का है। महोदय, हमारे देश में बच्चों का बचपन, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन एक गम्भीर सामाजिक समस्या, जो इस विकास को बाधित करती है, वह है बाल विवाह। बाल विवाह केवल एक परम्परा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा है, जो हमारे बच्चों के अधिकारों, उनके उज्ज्वल भविष्य के अधिकारों का हनन और हमारे समाज की प्रगति को गम्भीर नुकसान पहुंचाती है।

माननीय उपसभापति महोदय, देश के हर कोने में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाना, माता-पिता, समुदाय, नागरिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की भूमिका को मज़बूत करना है। साथ ही, उन किशोरी लड़कियों की पहचान करना, जो अचानक स्कूल छोड़ देती हैं, ताकि उनकी शिक्षा, कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए उचित सहायता प्रदान की जा सके।

उपसभापति महोदय, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, PCMA, 2006 लागू होने के बाद बाल-विवाह की घटनाएं कम हुई हैं। वर्ष 2006 में यह आंकड़ा 47 परसेंट था, जो 2019-2021 में घटकर 32.3 परसेंट रह गया है। यह अभी भी गंभीर समस्या है। बाल-विवाह एक कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि यह कई और समस्याओं की जड़ है, जैसे कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, बाल तस्करी, जबरन विवाह, असुरक्षित गर्भपात, जिससे लड़कियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया है कि बाल-विवाह के खिलाफ और प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ने की जरूरत है।

उपसभापति महोदय, बाल-विवाह न केवल हमारी बेटियों के स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि यह हमारे देश की प्रगति में भी बाधक है। जब कम उम्र में एक लड़की का विवाह किया जाता है, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो जाता है। उसके पास अपनी शिक्षा पूरी करने, अपने सपने को साकार करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर नहीं रह जाता है। इसके अलावा किशोर उम्र में मातृत्व के स्वास्थ्य संबंधी और गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारे देश की मातृत्व और शिशु मृत्यु दर को बढ़ावा देती है। बाल-विवाह केवल लड़कियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे बेटे भी इस कुप्रथा का शिकार होते